

सुशील कुमार पांडे व अन्य

बनाम

झारखंड उच्च न्यायालय व अन्य

(रिट याचिका (सिविल) सं. 753/2023)

01 फरवरी 2024

[माननीय न्या. अनिरुद्ध बोस और माननीय न्या. संजय कुमार]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश संवर्ग के पदों पर चयन हेतु व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद चयन मानदंड में बदलाव करना उचित ठहराया।

हेडनोट्स

झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 – नियम 14, 18, 21 – झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) विनियम, 2017 – झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश संवर्ग के पदों पर चयन – व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद चयन मानदंडों में परिवर्तन – वैधानिक नियमों से विचलन में उच्चतर कुल अंक निर्धारित किए गए – पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के पदों पर सिफारिश किए जाने के लिए योग्यता मानदंड के रूप में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक (मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का संयोजन) हासिल करना पेश किया – अस्वीकार्यता:

अभिनिर्धारित किया गया: नियम 18 के अंतर्गत कट-ऑफ अंक निर्धारित करने का कार्य उच्च न्यायालय में निहित था, परंतु यह परीक्षा शुरू होने से पहले किया जाना था – चयन सूची बनाने के लिए नियम 21 में निहित शर्तों का उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा आक्षेपित प्रस्ताव को अंगीकृत करने में उल्लंघन किया गया था – यह अभिवाक् कि नियमों या विनियमों के अंतर्गत उच्चतर कुल अंक लागू करने पर वर्जन नहीं था,

स्वीकार नहीं किया गया – “कुल” शब्द का अर्थ ही दो या दो से अधिक प्रक्रियाओं का संयोजन है और यदि कुल अंक निकालने की प्रक्रिया लागू नियमों में निर्धारित की गई है, तो कुल अंक बनाने के तरीके में बदलाव को सक्षम करने के लिए अलग मानदंड नहीं बनाया जा सकता है – यदि उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद चयन मानदंडों को बदलने की अनुमति दी जाती है, तो यह निर्धारित नियमों में परिवर्तन माना जाएगा – उच्च न्यायालय प्रशासन का अभिवाक् कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंडों को बदलने की अनुमति देता है, उक्त प्रावधान का उचित विवरण नहीं है – नियम 14 उच्च न्यायालय प्रशासन को विशिष्ट मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करके विशेष स्थिति में अभ्यर्थी की उपयुक्तता और पात्रता को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है – उच्च न्यायालय प्रशासन 2001 के नियमों में निर्दिष्ट चयन मानदंडों से विचलन करने के लिए एक व्यापक निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहीं ले सकता– उच्च न्यायालय उन अभ्यर्थियों के लिए सिफारिश करेगा जो विद्यमान अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव को लागू किए बिना, योग्यता या चयन सूची के अनुसार सफल हुए थे, जिसके अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है – झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव का वह भाग जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल वे अभ्यर्थी ही जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य होंगे जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, को अभिखंडित किया जाता है [पैरा 20, 22-24]

सेवा न्यायशास्त्र-बीच में नियम में बदलाव-चर्चा की गई।

उद्धृत मामला विधि

शिवानंदन सी.टी. व अन्य बनाम केरल उच्च न्यायालय,
[\[2023\] 11 एससीआर 674](#) : (2023) आईएनएससी 709
– अनुसरण किया गया।

हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह व अन्य [\[1974\] 1 एससीआर 165](#) : (1974) 3 एससीसी 220; *राम शरण मौर्य और अन्य वी. उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य*, [\[2020\] 12 एससीआर 466](#) : (2021) 15 एससीसी 401 विशिष्ट।

के.मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, [\[2008\] 2 एससीआर 1025](#) : (2008) 3 एससीसी 512; हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, [\[2008\] 5 एससीआर 1066](#) : (2008) 7 एससीसी 11 ने निर्भरता व्यक्त की।

तेज प्रकाश पाठक व अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य: (2013) 4 एससीसी 540 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001; झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2017; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

जिला न्यायाधीश संवर्ग; चयन मानदंड में परिवर्तन; उच्चतर कुल अंक; योग्यता मानदंड; कट-ऑफ अंक; चयन मानदंड से प्रस्थान।

मामला उद्भूत हुआ

सिविल मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (सिविल) सं.753/2023

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत)

के साथ

रिट याचिका (सिविल) सं. 921/2023

पक्षकारगण हेतु उपस्थिति

अरुणाभ चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता/अति.महाअधि., विनय नवारे, के कर्पागविनगगम, दुष्यन्त दवे, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, जयंत के. सूद, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश ठाकुर, सुश्री नेहा सिंह, श्रीमती गीतांजलि बेदी, रणविजय सिंह चंदेल, शिवम शर्मा, सुश्री शिवानी, पृथ्वी पाल, संजय कुमार यादव, मनोज जैन, सुश्री किरण भारद्वाज, सी अरविंद, के वी मथु कुमार, सुश्री गीता वर्मा, सैयद इम्तियाज, उस्मान खान, सुश्री मधुरिमा सारंगी, नईम इलियास, तौसीफ अहमद डार, दानिश जुबैर खान, डॉ. लोकेन्द्र मलिक, सूर्य नाथ पांडे, दुर्गा दत्त, रोहित प्रियदर्शी, उपेन्द्र नारायण मिश्रा, सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, सुश्री राशि वर्मा, सोमेश कुमार दुबे, कार्तिक जसरा, प्रणित स्टेफ़ानो, शिवम नागपाल, सुश्री सुस्मिता लाल, सुश्री रचिता चावला, कामाख्या श्रीवास्तव, राजीव शंकर द्विवेदी, सुश्री तुलिका मुखर्जी, कर्मा दोरजी, देवेन डब्ल्यू. लाचुंगपा, बीनू शर्मा, वेंकट नारायण, उपस्थित पक्षकारगण हेतु अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

इन दो रिट याचिकाओं में, हम झारखंड राज्य में वर्ष 2022 में संस्थित जिला न्यायाधीश संवर्ग की चयन प्रक्रिया की वैधता को संबोधित करना चाहते हैं। दिनांक 24 मार्च, 2022 को एक विज्ञापन सं. 01/2022 प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन में निर्दिष्ट रिक्तियां स्वयं बाईस थीं। उक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 ('2001 नियम') द्वारा निर्देशित है। वर्ष 2017 में, इस उद्देश्य के लिए 2001 नियम के नियम 11 और नियम 30 के अनुसार झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) विनियमन, 2017 ('2017 विनियमन') विरचित किया गया था।

2. विज्ञापन तथा 2001 के नियमों में निर्दिष्ट कट-ऑफ अंकों के आधार पर, 1:3 अनुपात लागू करते हुए, 66 व्यक्तियों की चयन सूची प्रकाशित की गई, क्योंकि प्रकाशित रिक्तियां बाईस थीं।
3. यद्यपि, उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक पक्ष में नियुक्ति हेतु केवल तेरह अभ्यर्थियों की सिफारिश की, जबकि घोषित रिक्तियाँ बाईस थीं। दिनांक 23.03.2023 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लिया गया। हम इस निर्णय के बाद के पैराग्राफ में 2001 के नियमों से संबंधित प्रावधानों को विज्ञापन के प्रासंगिक अंशों के साथ उद्धृत करेंगे। विज्ञापन में, विषयगत विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु प्रासंगिक अंश 'पात्रता और शर्तें' शीर्षक के अंतर्गत शामिल थे। चयन हेतु निम्नलिखित मानदंड निर्दिष्ट किए गए थे:-

"प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा"

(1) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे:-

- i. सामान्य अंग्रेज़ी
- ii. सामान्य ज्ञान (वर्तमान मामलों सहित)।
- iii. सि.प्र.सं.

- iv. दं.प्र.सं.
- v. साक्ष्य अधिनियम
- vi. संविदा की विधि।
- vii. भा.दं.सं.

- (2) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा कुल मिलाकर 100 अंकों की होगी
- (3) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी।
- (4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए-1 अंक (एक घटाकर) का नकारात्मक अंकन होगा।

मुख्य परीक्षा

(1) मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

पेपर-1

भाग-I भाषा (अंग्रेजी)

50 अंक

(निबंध, सटीक, प्रीपोसिशन और समझ आदि)

भाग-II

(i) प्रक्रियात्मक विधि (दं.प्र.सं. और सि.प्र.सं.)

(ii) साक्ष्य विधि

(iii) परिसीमा विधि

50 अंक

पेपर-II

मौलिक विधि

100 अंक

(i) भारत का संविधान

(ii) भारतीय दंड संहिता

(iii) संविदा विधि

- (iv) माल विक्रय अधिनियम
- (v) संपत्ति अंतरण अधिनियम
- (vi) परक्राम्य लिखत अधिनियम
- (vii) मोटर वाहन दुर्घटना दावा संबंधित विधि
- (viii) न्यायशास्त्र।
- (ix) संधाल परगना किरायेदारी अधिनियम
- (x) छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम
- (xi) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो)
- (xii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
- (xiii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम
- (xiv) विद्युत अधिनियम
- (xv) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम)

(2) परीक्षा प्रत्येक पेपर के लिए तीन घंटे की अवधि की दो बैठकों में आयोजित की जाएगी।

मौखिक परीक्षा

- (1) 40 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी।
- (2) मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा और तदनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार किए बिना, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, यदि वह मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से 20 से कम अंक प्राप्त करता है।

ध्यान दें:- प्रत्येक दिव्यांग अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का "प्रतिपूरक समय" दिया जाएगा।"

4. जहाँ तक इन कार्यवाहियों में शामिल चयन प्रक्रिया का सवाल है, कोई प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, परंतु यह सवाल हमारे समक्ष विवाद का विषय नहीं है। पेपर-I और पेपर-II से युक्त मुख्य परीक्षा में कुल 200 अंक थे। विज्ञापन के अनुसार, मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक 40 थे, जैसा कि पिछले पैराग्राफ से पता चलता है। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के बावजूद अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से कम से कम 20 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी।
5. 2001 के नियमों के अनुसार, प्रासंगिक प्रावधान नियम 14, 18, 21 और 22 हैं। ये नियम इस प्रकार हैं:-

“14. पूर्वगामी नियम में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय को यह स्वतंत्रता होगी कि वह चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद अभ्यर्थी से उसकी उपयुक्तता और/या पात्रता से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जिसे उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।

18. परीक्षा शुरू होने से पहले, उच्च न्यायालय प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक और उसके बाद मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है। ऐसे न्यूनतम अर्हक अंकों के आधार पर, उच्च न्यायालय लिखित परीक्षा में योग्यता के क्रम में, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, मौखिक परीक्षा के लिए उतने अभ्यर्थियों को बुलाने का निर्णय ले सकता है, जितना वह उचित रूप से निर्णीत कर सकता है:

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक कुल अंकों के 45% से अधिक नहीं होंगे:

बशर्ते कि न्यूनतम अर्हक अंकों के साथ-साथ योग्यता क्रम के आधार पर किसी विशेष अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करते समय, समग्र परीक्षा में प्राप्त कुल अंक और किसी व्यक्तिगत पेपर में प्राप्त अंक, दोनों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो कि इस प्रयोजन हेतु विरचित किए जाने वाले विनियमों में उच्च न्यायालय

द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश पर निर्भर करेगा।

21. कोई भी अभ्यर्थी, चाहे उसने प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा और/या मुख्य लिखित परीक्षा में कितने भी अंक प्राप्त किए हों, तब तक नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त नहीं कर लेता। मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों के नामों को सारणीबद्ध किया जाएगा और योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो क्रम मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों के मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक भी समान पाए जाते हैं, तो क्रम प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार निर्णीत किया जाएगा। योग्यता के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित अभ्यर्थियों की सूची में से उच्च न्यायालय एक चयन सूची तैयार करेगा और उसे विनियमों में निर्धारित तरीके से सम्यक् रूप से अधिसूचित करेगा। ऐसी चयन सूची अधिसूचित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

22. उपरोक्त चयन सूची में से, उपलब्ध रिक्तियों या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर, उच्च न्यायालय सरकार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु नामों की सिफारिश करेगा।”

6. उक्त नियम के नियम 21 और 2017 विनियमन के पैराग्राफ 12 की विषय-वस्तु के बीच निर्धारित न्यूनतम अंकों के संबंध में एक असंगति प्रतीत होती है। विनियमन के उक्त पैराग्राफ में यह प्रावधान है:-

“(12) कोई भी अभ्यर्थी, मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के बावजूद, नियुक्ति के लिए चयन हेतु पात्र नहीं होगा, यदि वह मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से 20 से कम अंक प्राप्त करता है।”

7. हमने पहले ही 2001 के नियमों के नियम 21 का हवाला दिया है, जिसमें मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक योग्यता मानदंड के रूप में विहित किए गए हैं। परंतु यह सवाल वर्तमान दो रिट याचिकाओं में भी उद्भूत नहीं हुआ है क्योंकि हमारे समक्ष किसी भी पक्षकार ने इस मुद्दे को उद्भूत नहीं किया है। हम 2017 के विनियमन के पैराग्राफ 12 के प्रावधानों के अनुसार चलना अधिक सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि विज्ञापन में मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से न्यूनतम 20 अंक भी विहित किए गए हैं।
8. स्वीकृत स्थिति यह है कि जिन 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु सिफ़ारिश नहीं की गई, उन्हें 2001 नियमावली के नियम 21 के अनुसार चयन सूची में स्थान मिला था।
9. रिट याचिका (सिविल) सं. 753/2023 में, कुल मिलाकर सात याचीगण ने पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव द्वारा 9 अभ्यर्थियों को बाहर करने पर सवाल उठाया है। उक्त प्रस्ताव में उक्त पदों पर सिफ़ारिश करने के लिए योग्यता मानदंड के रूप में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक (मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का संयोजन) प्राप्त करना शामिल है। दिनांक 23 मार्च, 2023 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक की कार्यसूची सं. 1 के विरुद्ध यह प्रस्ताव अभिलिखित करता है:-

क्रमांक	कार्यसूची	प्रस्ताव
1.	विज्ञापन सं. 01/2022/एपी टीटी के अंतर्गत अंतिम परिणाम के संबंध में जिला न्यायाधीश [नियम 4 (क) के अंतर्गत प्रत्यक्षतः बार से] की भर्ती प्रक्रिया पर मामले पर विचार करना	विचार किया गया। पूर्ण न्यायालय ने मौखिक परीक्षा में शामिल हुए 63 अभ्यर्थियों की अंतिम परिणाम सूची को अनुमोदित करने को प्रस्तावित किया है (सूची इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा फ्लैग "X" पर अंकित है) इसके अलावा, पूर्ण न्यायालय ने पाया कि क्रमांक 7 और 8 के अभ्यर्थियों को समान अंक मिले हैं, परंतु सावधानीपूर्वक विचार करने पर पता चला कि क्रमांक 8 के

		अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में अधिक अंक मिले हैं। इसलिए झारखंड उच्चतर न्यायिक (भर्ती, नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2001 के नियम 21 को ध्यान में रखते हुए क्रमांक 8 के अभ्यर्थी को उच्च स्थान/रैंक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, समुचित विचार-विमर्श के बाद, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर निहित जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए तथा उच्चतर न्यायिक सेवाओं के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए, पूर्ण न्यायालय ने यह प्रस्तावित किया है कि केवल वे अभ्यर्थी ही जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हक होंगे, जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। झारखंड उच्चतर न्यायिक (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 23 एवं 24 के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता से संबंधित अन्वेषण/जांच पूरी करने/होने के पश्चात् जिला न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु आवश्यक अधिसूचना/सूचनाएं जारी करने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित 13 शीर्ष (योग्यता अनुसार) अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश करने को प्रस्तावित किया जाता है:
--	--	--

क्रमांक	रोल नं.	नाम
---------	---------	-----

1	10369	नमिता चंद्र
2	10956	श्वेता ढींगरा
3	10343	पारस कुमार सिन्हा
4	10388	कुमार साकेत
5	10519	शिवनाथ त्रिपाठी
6	10218	भुपेश कुमार
7	11577	आईशा खान
8	10294	भानु प्रताप सिंह
9	10592	नीति कुमार
10	10371	प्राची मिश्रा
11	10109	पवन कुमार
12	11061	राजेश कुमार बाग्गा
13	10587	नारंजन सिंह
महानिबंधक को उपरोक्त 13 सफल अभ्यर्थियों के नाम इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाता है।		

10. यह प्रस्ताव झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दायर प्रत्युत्तर शपथपत्र के उत्तर में प्रकट किया गया है, जिसे उस न्यायालय के महानिबंधक ने भी प्रतिज्ञात किया है।
11. 'पूर्णन्दु शरण' द्वारा अंतर.आ. सं. 173928/2023 और 'आशुतोष कुमार पांडे' द्वारा अंतर.आ. सं. 10383/2024 के रूप में दो अभियोग आवेदन रजिस्टर हैं, दोनों ही पूर्ण न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से व्यथित हैं।
12. अभ्यर्थियों के एक अन्य समूह ने रिट याचिका (सिविल) सं. 921/2023 के रूप में रजिस्टर दूसरी रिट याचिका दायर की है। इस रिट याचिका में कुल मिलाकर पांच अभ्यर्थियों ने रिट याचिका (सिविल) सं. 753/2023 में मांगी गई राहत के समान ही राहत मांगी है।
13. याचीगण का प्रतिनिधित्व हमारे समक्ष विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे, श्री विनय नवरे और श्री जयंत के. सूद ने किया जबकि झारखंड उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने किया। झारखंड राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव शंकर द्विवेदी राज्य की ओर से उपस्थित

हुए। राज्य ने हमारे समक्ष कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। राज्य द्वारा प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है जिसमें भी उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक में प्रस्ताव की वैधता पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया गया है। यद्यपि राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 2001 के नियमों के नियम 21 में कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। यह याचिका वर्तमान कार्यवाही के दायरे में नहीं आती है।

14. याचीगण का मुख्य मामला दो मुद्दों पर टिका है। पहला यह कि प्रशासनिक पक्ष पर पूर्ण न्यायालय का निर्णय भर्ती नियमों, विनियमों और विज्ञापन में निहित शर्तों के विपरीत है। याचीगण द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों का दूसरा मुद्दा यह है कि किसी भी स्थिति में, प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रदर्शन के विषय में पता होने और परीक्षा के दो रूपों में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रकटन होने के बाद, उच्च न्यायालय प्रशासन हेतु नए कट-ऑफ अंक पेश करना अस्वीकार्य था। इस बिंदु पर, श्री दवे द्वारा जिस प्राधिकार पर निर्भरता व्यक्त की गई है, वह **शिवनंदन सी.टी. व अन्य बनाम केरल उच्च न्यायालय** [(2023) आईएनएससी 709] के मामले में इस न्यायालय के पांच माननीय न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का निर्णय है, जिसे दिनांक 12 जुलाई, 2023 को निर्णीत किया गया था। यह निर्णय उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को पैराग्राफ '7' में बताता है और इस निर्णय का अनुपात उक्त निर्णय के पैराग्राफ '52' से '57' तक उभर कर आएगा। निर्णय के ये अंश नीचे उद्धृत हैं:-

"7. दिनांक 27 फरवरी 2017 को, मौखिक परीक्षा आयोजित होने के बाद, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा उसने मौखिक परीक्षा में योग्यता मानदंड के रूप में वही न्यूनतम कट-ऑफ अंक लागू करने का निर्णय लिया जो लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित किए गए थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, प्रशासनिक समिति का विचार था कि चूंकि उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्तियां की जा रही थीं, इसलिए अपेक्षित व्यक्तित्व और ज्ञान वाले अभ्यर्थियों का चयन करना आवश्यक था, जिसे लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कट-ऑफ के समान मौखिक परीक्षा के लिए कट-ऑफ निर्धारित करके सुनिश्चित किया जा सकता था। दिनांक 6 मार्च 2017 को, केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव

को मंजूरी दे दी। सफल अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची भी उसी दिन प्रकाशित की गई थी।

X

X

X

52. परीक्षा की योजना और 2015 की परीक्षा अधिसूचना के साथ वैधानिक नियम ने याचीगण में यह प्रत्याशा पैदा की होगी कि चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा, याचीगण ने परीक्षा की योजना में स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मौखिक परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम कटऑफ की प्रत्याशा नहीं की होगी। याचीगण की उपरोक्त दोनों प्रत्याशाएँ वैध हैं क्योंकि वे वैधानिक नियमों, परीक्षा की योजना और उच्च न्यायालय द्वारा जारी 2015 की परीक्षा अधिसूचना की मंजूरी पर आधारित हैं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने के लिए स्वयं को विधिक रूप से प्रतिबद्ध किया।

ii. क्या उच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिबद्धता के संबंध में विधिविरुद्धता कार्य किया है?

53. उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने आशंका जताई कि लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी, भले ही मौखिक परीक्षा में उनका प्रदर्शन खराब रहा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर चयनित हो जाएंगे। प्रशासनिक समिति ने पाया कि ऐसे अभ्यर्थियों की भर्ती आम जनता के लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि उनके पास केवल “किताबी” ज्ञान है और व्यावहारिक ज्ञान की कमी है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने मौखिक परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ लागू करने का निर्णय किया। प्रशासनिक समिति के निर्णय को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मंजूरी दे दी।

54. संविधान उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार में न्यायिक अधिकारियों का चयन करने का अधिकार प्रदान करता है। उच्च

न्यायालय को, एक संवैधानिक और सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करते समय, अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक प्राधिकरण निष्पक्ष, सुसंगत और पूर्वानुमानित तरीके से कार्य करें।

55. उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की वास्तविक वैध अपेक्षा की निराशा व्यापक जनहित में थी - जिला न्यायाधीशों के पद हेतु व्यावहारिक ज्ञान वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करना। वास्तव में, यह जनहित में है कि हमारे पास भारतीय न्यायपालिका में सेवा करने वाले उपयुक्त अभ्यर्थी हों। यद्यपि, उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के मानदंड वैधानिक नियमों में निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने मौखिक परीक्षा हेतु न्यूनतम कट-ऑफ अंक पेश करने के लिए 2017 में 1961 के नियमों में संशोधन किया था। संशोधित नियम 2(ग) नीचे उद्धृत किया गया है:

“2. नियुक्ति की पद्धति – (1) सेवा में नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगी:

[...]

(ग) सेवा में पच्चीस प्रतिशत पद बार के सदस्यों में से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। भर्ती एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा शामिल होगी। [...] मौखिक परीक्षा हेतु अधिकतम 50 अंक होंगे। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।”

(जोर दिया गया)

56. असंशोधित 1961 नियमों के अंतर्गत, उच्च न्यायालय से लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ की किसी भी आवश्यकता के बिना चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने की अपेक्षा की गई थी। इस प्रकार, चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने के अपेक्षित पाठ्यक्रम से हटने का प्रशासनिक समिति का निर्णय असंशोधित 1961 नियमों के विपरीत है। यह प्रकाशित करना भी महत्वपूर्ण है कि मौखिक परीक्षा हेतु न्यूनतम कटऑफ की आवश्यकता मौखिक परीक्षा आयोजित होने के बाद शुरू की गई थी। यह स्पष्ट है कि याचीगण को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि मौखिक परीक्षा के लिए ऐसी आवश्यकता शुरू की जाएगी। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का निर्णय याचीगण हेतु अनुचित है और शक्ति का मनमाना प्रयोग है।

57. उच्च न्यायालय का निर्णय स्थिरता और पूर्वानुमान की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता क्योंकि यह स्थापित प्रथा का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय ने 2013 और 2014 के लिए जिला और सत्र न्यायाधीशों के पद पर चयन के लिए मौखिक परीक्षा हेतु न्यूनतम कट-ऑफ की आवश्यकता नहीं बताई। हालाँकि, उच्च न्यायालय का औचित्य, जब अपने स्वयं के संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है, तो सम्मोहक लगता है, परंतु यह वैधानिकता पर आधारित नहीं है। मौखिक परीक्षा हेतु न्यूनतम कट-ऑफ लागू करने के उच्च न्यायालय के निर्णय ने याचीगण की वास्तविक वैध अपेक्षा को निराश किया। चूँकि उच्च न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से अस्थिर है और निष्पक्षता, स्थिरता और पूर्वानुमान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, इसलिए हम मानते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई मनमानी है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।”

15. [के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य](#) [(2008) 3 एससीसी 512] के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों के इस न्यायालय के एक पुराने निर्णय में चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती मानदंडों में बदलाव को अस्वीकार्य माना गया है।

हम उक्त रिपोर्ट से उस निर्णय के पैराग्राफ '27' और '36' को नीचे उद्धृत करते हैं:-

"27. परंतु जो नहीं किया जा सका वह दूसरा बदलाव था, साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अंकों का मानदंड लागू करना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड II) के चयन हेतु साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों को पहले कभी नहीं अपनाया था। वर्तमान चयन के संबंध में, प्रशासनिक समिति ने केवल प्रचलित पूर्व प्रक्रिया को अपनाया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पूर्व प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक लागू करने की थी, मौखिक परीक्षा के लिए नहीं। हमने दिनांक 24.7.2001 और 21.2.2002 के पूर्व प्रस्तावों की उचित व्याख्या का हवाला दिया है और माना है कि दिनांक 30.11.2004 को जो अपनाया गया था वह केवल लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक थे, साक्षात्कार हेतु नहीं। इसलिए, संपूर्ण चयन प्रक्रिया (जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं) पूरी हो जाने के बाद साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अंकों की आवश्यकता को लागू करना, खेल के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान होगा जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। इस न्यायालय के कई निर्णयों से हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। इनमें से तीन का उल्लेख करना पर्याप्त है – पी.के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ, उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ, और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य।

X

X

X

36. यद्यपि, पूर्ण न्यायालय ने एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों के संबंध में एक नई आवश्यकता पेश की, जिसकी आवश्यकता नहीं है और जो वर्तमान चयन प्रक्रिया और पहले के चयनों को लागू करते समय अपनाई गई व्याख्या से भिन्न है। चूंकि पूर्ण न्यायालय ने प्रशासनिक समिति के दिनांक 30.11.2004 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से युक्त चयन की पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने का भी निर्णय किया था, इसलिए वह साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों की नई आवश्यकता पेश नहीं कर सकता था, जिसका प्रभाव उन

अभ्यर्थियों को बाहर करने का था, जो अन्यथा चयन हेतु पात्र और उपयुक्त होते। इसलिए, हम मानते हैं कि साक्षात्कार के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अपनाकर मेरिट सूची को पुनरीक्षित करने में पूर्ण न्यायालय की कार्रवाई अस्वीकार्य थी।”

16. बाद में इसी न्यायालय की समन्वय पीठ ने [हेमानी मल्होत्रा-बनाम-दिल्ली उच्च न्यायालय](#) [(2008) 7 एससीसी 11] के मामले में यही विचार व्यक्त किया था। बाद में **तेज प्रकाश पाठक व अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य** [(2013) 4 एससीसी 540] के निर्णय में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने [के. मंजूश्री](#) (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए विचार से अलग विचार व्यक्त किया था और मामले को वृहत न्यायपीठ द्वारा विचार करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया था। वृहत न्यायपीठ की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है और जब तक [के. मंजूश्री](#) (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को वृहत न्यायपीठ द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम उसी के अनुसार चलते रहेंगे क्योंकि “बीच में नियम में कोई बदलाव नहीं” का सिद्धांत सेवा न्यायशास्त्र का एक अभिन्न अंग बन गया है।
17. श्री गुप्ता द्वारा उठाया गया अगला मुद्दा यह है कि जिन तीन निर्णयों पर श्री दवे ने निर्भरता व्यक्त की है, उनका अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। उनका तर्क है कि उन तीन प्राधिकरणों में मौखिक परीक्षा में अंकन विवाद का विषय था, जबकि वर्तमान रिट याचिकाओं में, यह समग्र अंकन है जिस पर उच्च न्यायालय प्रशासन ने वर्जन लगाया है। श्री गुप्ता ने जिन प्राधिकरणों पर निर्भरता व्यक्त की है, उनमें से एक [हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह व अन्य](#) [(1974) 3 एससीसी 220] है। उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 और 12 में, इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया और देखा गया है: -

“7. वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 40 अभ्यर्थियों ने 45% के न्यूनतम अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनके नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे जैसा कि पहले से संदर्भित नियम 10(1) द्वारा अपेक्षित था। यह विवादग्रस्त नहीं है कि इस सूची में अभ्यर्थी के नाम की मात्र प्रविष्टि उसे नियुक्त होने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह भी कि

विज्ञापन की 15 रिक्तियां भरी जानी हैं, भी उसे नियुक्त होने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। ऐसा हो सकता है कि सरकार वित्तीय या अन्य प्रशासनिक कारणों से कोई रिक्तियां नहीं भर सकती है। ऐसे मामले में अभ्यर्थियों को, यहां तक कि सूची में पहले स्थान पर आने वालों को भी, नियुक्त होने का अधिकार नहीं होगा। सूची केवल राज्य सरकार को नियुक्तियां करने में मदद करने के लिए है, जिसमें दिखाया गया है कि किन अभ्यर्थियों के पास नियमों के अंतर्गत न्यूनतम योग्यताएं हैं। इसके बाद नियुक्ति हेतु चयन का चरण आता है, और यह विवादग्रस्त नहीं है कि संविधान के अंतर्गत केवल राज्य सरकार ही नियुक्तियां कर सकती है। किसी विशेष अभ्यर्थी की सिफारिश करने के लिए उच्च न्यायालय की भूमिका नहीं होती। राज्य सरकार द्वारा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों में से किसकी नियुक्ति की जानी चाहिए, इस विषय में निर्णय लेने के बाद, नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय को भेजी जाती है, फिर उसे ऐसे अभ्यर्थियों को अपने द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करना होता है। जब रिक्तियों को भरा जाना होता है, तो उच्च न्यायालय चयन सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम और उस क्रम में उन्हें रिक्तियों में नियुक्ति हेतु भेजेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय सरकार को यह सुझाव देने के अलावा कोई भूमिका नहीं निभाता है कि चयन सूची के अनुसार किसे नियुक्त किया जाना है और किस रिक्ति पर। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में लोक सेवा आयोग ने पहले 15 अभ्यर्थियों की सूची भेजी थी क्योंकि आयोग को सूचित किया गया था कि 15 रिक्तियां हैं। उच्च न्यायालय ने भी अपने नियमित क्रम में नियुक्ति हेतु पहले 15 नाम सरकार को भेजे थे। इसके बाद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने दिनांक 4 मई, 1971 को उच्च न्यायालय के निबंधक को निम्नलिखित पत्र लिखा:

“मुझे उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के अंतःपत्र सं. 1678-1 जीएस, II-71/3802, दिनांक 22 अप्रैल, 1971 को संदर्भित करना और यह कहना निर्दिष्ट किया गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में पहले पंद्रह अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने यह विचार किया है कि यह उचित होगा कि केवल पहले सात अभ्यर्थियों को ही हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में नियुक्त किया जाए और तदनुसार एक अधिसूचना जारी की गई है। कारण यह है कि राज्य सरकार की राय में, केवल उन अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं क्योंकि यह सेवा में नियुक्तियों में न्यूनतम मानक बनाए रखने का काम करेगा। यह उल्लेखनीय है कि मई 1969 में आयोजित हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची में से अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त अंतिम अभ्यर्थी ने 55.67% अंक प्राप्त किए।

राज्य सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वयं पंजाब सरकार को यह सिफारिश की है कि 1970 में आयोजित पीसीएस (न्यायिक शाखा) परीक्षा के संबंध में, 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उन सिफारिशों के अनुरूप है जो उच्च न्यायालय ने 1970 में आयोजित परीक्षा के आधार पर पीसीएस (न्यायिक शाखा) में भर्ती के संबंध में पंजाब सरकार को दी थी, और दोनों मामलों में एक समान नीति स्पष्ट कारणों से वांछनीय होगी।”

12. यद्यपि, प्रत्यर्थीगण की ओर से डॉ. सिंघवी ने प्रतिवाद किया कि चूंकि भाग ग का नियम 8 प्रतियोगी परीक्षा में 45% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र बनाता है, इसलिए राज्य सरकार को कोई नया नियम लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके द्वारा वे केवल उन लोगों तक नियुक्तियों को सीमित कर सकते हैं जिन्होंने 55% से कम अंक नहीं प्राप्त किए हैं। यह प्रतिवाद किया गया है कि राज्य सरकार ने चयन हेतु न्यूनतम 55% निर्धारित करके मनमाने ढंग से काम किया है और यह ऊपर उल्लिखित नियम के विपरीत है। इस तर्क

में कोई दम नहीं है। नियम 8 न्यूनतम योग्यता वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में एक कदम है, जिसका नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है। सूची योग्यता के क्रम में तैयार की जाती है। रैंक में ऊपर वाला व्यक्ति रैंक में नीचे वाले व्यक्ति से अधिक मेधावी माना जाता है। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि जो सूची में सबसे ऊपर है वह सूची में सबसे नीचे वाले व्यक्ति के समान योग्यता रखता है। सिवाय इसके कि उन सभी का उल्लेख एक ही सूची में है, उनमें से प्रत्येक दूसरे की तुलना में योग्यता के एक अलग स्तर पर है। इसलिए नियम 10(ii), भाग ग "नियुक्ति हेतु चयन" की बात करता है। भले ही राज्य सरकार पर नियुक्तियों की संख्या के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी सरकार द्वारा चयन के उद्देश्य से अधिक अंक निर्धारित करने पर कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे मामले में जहां कई योग्य अभ्यर्थियों में से चयन द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, सरकार के लिए योग्यता के उच्च मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से एक अंक निर्धारित करना खुला है जो अधिक पात्रता के लिए आवश्यक अंक से बहुत अधिक है। जैसा कि पहले ही संदर्भित मुख्य सचिव के पत्र में दिखाया गया है चयन के उद्देश्य से 55% अंक निर्धारित करने में कोई मनमानी नहीं है, क्योंकि यह उच्च न्यायालय का विचार था, जिसे पहले पंजाब सरकार को भी सूचित किया गया था, जिस पर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई करना उचित समझा। पंजाब सरकार द्वारा बाद में कम अंक निर्धारित करना हरियाणा सरकार के लिए अपना विचार बदलने का कोई कारण नहीं है। यह अनिवार्य रूप से प्रशासनिक नीति का मामला है और यदि हरियाणा राज्य सरकार सोचती है कि न्यायिक क्षमता के हित में प्रतियोगी परीक्षा में 55% से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति हेतु नहीं चुना जाना चाहिए, तो 55% से कम अंक प्राप्त करने वालों को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उन अभ्यर्थियों का भी चयन किया जाए जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम अंक प्राप्त किए हैं। हमारे विचार में उच्च न्यायालय यह सोचने में त्रुटिपूर्ण था कि राज्य सरकार ने किसी प्रकार भाग ग के नियम 8 का उल्लंघन किया है।"

18. श्री गुप्ता ने [शरण मौर्य और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य](#) [(2021) 15 एससीसी 401] मामले को भी उद्धृत किया है। इस निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है:-

“72. 1981 के नियमों के नियम 2(1)(x) के अनुसार, एटीआरई के अर्हक अंक ऐसे न्यूनतम अंक हैं जिन्हें सरकार द्वारा “समय-समय पर” निर्धारित किया जा सकता है। 1981 के नियमों के नियम 14 के खंड (ग) में कहा गया है कि अभ्यर्थी को “सरकार द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण” करनी होगी। इस प्रकार, 1981 के नियमों के अंतर्गत सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक एटीआरई को ऐसे न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण करना है जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एटीआरई 2018 के लिए दिशा-निर्देशों के पैरा 7 के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एटीआरई 2018 उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 45% या 40% अंक (क्रमशः “सामान्य” और “आरक्षित” श्रेणियों के लिए) प्राप्त करने होंगे, एटीआरई 2019 को अधिसूचित करने वाले दिनांक 1-12-2018 के जी.ओ. में ऐसी कोई शर्त उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, एटीआरई 2018 के लिए दिशा-निर्देशों में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए थे, परंतु 1981 के नियमों की यह आवश्यकता नहीं है कि ऐसी शर्त एटीआरई को अधिसूचित करने वाले उपकरण का हिस्सा होनी चाहिए। सौंपे जाने की प्रकृति के अनुसार, सरकार को “समय-समय पर” न्यूनतम अंक निर्धारित करने का अधिकार है। यदि इस शक्ति को इस आवश्यकता के साथ सशर्त माना जाता है कि यह शर्त परीक्षा को अधिसूचित करने वाले उपकरण का हिस्सा होनी चाहिए, तो एटीआरई 2019 के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियमों को इस प्रकार से पढ़ने से कुछ हद तक अतार्किक परिणाम सामने आएंगे। एक ओर, संबंधित नियम में एटीआरई उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है, जबकि दूसरी ओर, कोई न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित नहीं होंगे। इसलिए संबंधित नियमों पर एक उचित निर्माण का अर्थ यह होगा कि सरकार को न केवल परीक्षा को अधिसूचित करने वाले उपकरण के साथ किंतु ऐसे अन्य उचित

समय पर भी ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने की शक्ति होनी चाहिए। उस स्थिति में, अगला सवाल यह होगा कि किस चरण में ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए जा सकते हैं और क्या आवश्यकता है कि ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक परीक्षा से काफी पहले घोषित किए जाएं।

73. के. मंजूश्री [के. मंजूश्री बनाम आ.प्र. राज्य](#), (2008) 3 एससीसी 512: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 841] और हेमानी मल्होत्रा [हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय](#), (2008) 7 एससीसी 11: (2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 203] ऐसे मामले थे जो न्यायिक सेवा में पदों को भरने के लिए किए गए चयन से संबंधित थे। इन मामलों में, साक्षात्कार में कोई न्यूनतम योग्यता अंक आवश्यक नहीं थे और लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची निर्धारित की जानी थी। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम योग्यता अंकों के निर्धारण के आधार पर, कुछ अभ्यर्थी, जो अन्यथा, उनके कुल के आधार पर चयन के क्षेत्र में होते, स्वयं को अयोग्य पाते हैं। न्यूनतम योग्यता अंकों का अनुबंध पहली बार आया है और चयन प्रक्रिया शुरू होने या पूरी होने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार की प्रक्रिया को अनुचित पाया।

74. ये ऐसे मामले थे, जहाँ शुरू से ही साक्षात्कार हेतु किसी न्यूनतम योग्यता अंक की कोई शर्त नहीं थी। दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, नियम 14 के साथ नियम 2(1)(x) के अनुसार आवश्यकता यह है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक किसी अभ्यर्थी द्वारा सहायक शिक्षक के रूप में चयन हेतु पात्र माने जाने के लिए प्राप्त किए जाने चाहिए। इस प्रकार हमेशा यह माना जाता था कि कुछ न्यूनतम योग्यता अंक होंगे। सरकार द्वारा दिनांक 7-1-2019 के अपने आदेशों के आधार पर ऐसे न्यूनतम योग्यता अंकों की मात्रा या संख्या निर्धारित करनी थी। इसलिए, के. मंजूश्री [के. मंजूश्री बनाम आ.प्र. राज्य](#), (2008) 3 एससीसी 512: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 841] में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किए गए मामलों के विपरीत, जहां

एक अभ्यर्थी उचित रूप से यह मान सकता था कि साक्षात्कार हेतु न्यूनतम योग्यता अंकों के विषय में कोई शर्त नहीं थी, और लिखित और मौखिक परीक्षा में अंकों का योग ही वह आधार होना चाहिए जिसके आधार पर योग्यता निर्धारित की जाएगी, तत्काल मामले में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी। अभ्यर्थी को एटीआरई 2019 उत्तीर्ण करना था और उसे यह पता होना चाहिए कि एटीआरई 2019 उत्तीर्ण करने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता अंकों का निर्धारण किया जाएगा।

75. इसलिए, एक ओर के. मंजूश्री [[के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य](#), (2008) 3 एससीसी 512: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 841] में निर्धारित सिद्धांत और हेमानी मल्होत्रा [[हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय](#), (2008) 7 एससीसी 11: (2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 203] में अनुसरण किए गए सिद्धांत और दूसरी ओर वर्तमान मामले की स्थिति के बीच मौलिक अंतर है।

76. अब हमारे सामने यह सवाल है कि क्या दिनांक 7-1-2019 के आदेश द्वारा ऐसे न्यूनतम योग्यता अंकों के निर्धारण को केवल इसलिए अपास्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा निर्धारण परीक्षा आयोजित होने के बाद किया गया था। इस मोड़ पर, यह नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष अग्रणी रिट याचिका में की गई मूल प्रार्थना दिनांक 7-1-2019 के आदेश को अपास्त करने की थी। इसके परिणामस्वरूप क्या हो सकता है कि एटीआरई 2019 के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे, जो नियम 14 के खंड (ग) के साथ नियम 2(1)(x) के अधिदेश के विपरीत होगा। यह इस कारण से है कि जो प्रस्तुत किया गया था वह यह था कि एटीआरई 2018 के लिए उपलब्ध समान मानदंड को एटीआरई 2019 के लिए अपनाया जाना चाहिए। इस प्रस्तुतिकरण को बल देने के लिए, यह तर्क दिया गया कि एटीआरई 2018 और एटीआरई 2019 में उपस्थित होने वाले शिक्षा मित्र एक समरूप वर्ग बनाते हैं समरूपता के आधार पर इस तर्क पर पहले ही विचार किया जा चुका है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

77. यदि सरकार के पास "समय-समय पर" न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने की शक्ति है, तो नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परीक्षा समाप्त होने के बाद भी ऐसी शक्ति के प्रयोग से विचलित कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी दुर्भावना या दुर्भावना से प्रेरित न हो और सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को खोजने के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा हो। उस संबंध में, तत्काल मामला एमसीडी बनाम सुरेंद्र सिंह [एमसीडी बनाम सुरेंद्र सिंह, (2019) 8 एससीसी 67: (2019) 2 एससीसी (एल एंड एस) 464] और झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता [[झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता](#), (2019) 20 एससीसी 178] में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूर्ण रूप से कवर किया गया है। पहले मामले में, विज्ञापन के खंड 25 के अंतर्गत सौंपी गई शक्ति ने चयन बोर्ड को रिक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने के लिए समान विवेक प्रदान किया। इस शक्ति के प्रयोग की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि ऐसा "भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों के न्यूनतम मानक को सुनिश्चित करने के लिए" किया गया था। इसी प्रकार, झारखंड लोक सेवा आयोग [[झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता](#), (2019) 20 एससीसी 178] में, पेपर III में परीक्षा समाप्त होने के बाद शक्ति का प्रयोग सही और न्यायोचित पाया गया।

78. यदि अंतिम उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा का चयन करना है और न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने की शक्ति है, तो इस न्यायालय द्वारा [हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मरवाहा](#) [हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मरवाहा, (1974) 3 एससीसी 220: 1973 एससीसी (एल एंड एस) 488], [यूपी राज्य बनाम रफीकुद्दीन](#) [यूपी राज्य बनाम रफीकुद्दीन, 1987 सप एससीसी 401: 1988 एससीसी (एल एंड एस) 183], एमसीडी बनाम सुरेंद्र सिंह [एमसीडी बनाम सुरेंद्र सिंह, (2019) 8 एससीसी 67: (2019) 2 एससीसी (एल एंड एस) 464] और [झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता](#) [[झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता](#), (2019) 20 एससीसी 178] में निर्धारित

विधि के अनुसार, हमें दिनांक 7-1-2019 के आदेश के अनुसार 65-60% कट-ऑफ निर्धारित करने में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं मिली। अभिलिखित तथ्य बताते हैं कि इस कट-ऑफ के साथ भी योग्य अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से दोगुनी से भी अधिक है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि परीक्षा की प्रकृति और कठिनाई के स्तर, उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर विचार करने के बाद, संबंधित अधिकारियों के पास एक मानदंड चुनने की अपेक्षित शक्ति है जो सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षकों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। ऐसा प्रयास निश्चित रूप से आरटीई अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यों के अनुरूप होगा।

79. इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान मामले में, परीक्षा समाप्त होने के बाद भी, 65-60% पर कट-ऑफ का निर्धारण अनुचित नहीं कहा जा सकता है। हमारे विचार से, सरकार को इस प्रकार की कट-ऑफ निर्धारित करने का पूरा अधिकार है।”

19. यद्यपि, इन दो रिट याचिकाओं में हम केवल "नियम के बीच में परिवर्तन" सिद्धांत से ही चिंतित नहीं हैं। परंतु उस आधार पर भी, श्री गुप्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का अनुपात अलग-अलग है। **तेज प्रकाश पाठक** (पूर्वोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **के. मंजूश्री** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त करने के लिए **सुभाष चंद्र मारवाह** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय को संदर्भित किया था। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, **के. मंजूश्री** (पूर्वोक्त) का अनुपात अभी भी दृष्टिगत है। **राम शरण मौर्य** (पूर्वोक्त) के मामले में, भर्ती का मार्गदर्शन करने वाले नियमों ने सरकार को विशेष चयन प्रक्रिया के योग्यता अंकों को ऐसे न्यूनतम अंक निर्धारित करने का अधिकार दिया, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं। इस निर्णय में, निर्णय स्वयं **के. मंजूश्री** (पूर्वोक्त) और **हेमानी मल्होत्रा** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णयों पर ध्यान देता है और पाता है कि उस मामले में शामिल पदों पर चयन का तरीका **के. मंजूश्री** (पूर्वोक्त) और **हेमानी मल्होत्रा** (पूर्वोक्त) में अस्वीकार्य पाए गए तरीके से अलग था।

20. हम 2001 के नियमों के नियम 18 से पाते हैं कि कट-ऑफ अंक निर्धारित करने का कार्य उच्च न्यायालय को सौंपा गया है, परंतु यह परीक्षा शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हम एक ऐसी स्थिति का भी निपटान कर रहे हैं जिसमें उच्च न्यायालय प्रशासन चयन प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले नियमों से विचलित होने की कोशिश कर रहा है। हमने इस प्रकार के विचलन हेतु उच्च न्यायालय के तर्क पर विचार किया है, परंतु वैधानिक नियमों से इस प्रकार का विचलन अस्वीकार्य है। हम उच्च न्यायालय प्रशासन के तर्क को स्वीकार करते हैं कि चयन सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को संबंधित पद पर नियुक्त होने का कोई निहित विधिक अधिकार नहीं मिला है। परंतु यदि अभ्यर्थी की अनुपयुक्तता पर बिना कोई निष्कर्ष निकाले उसे नियुक्ति से रोका जाता है तो यह भर्ती नियमों का उल्लंघन है, तो ऐसी कार्रवाई अनुच्छेद 14 परीक्षण में विफल हो जाएगी और इसे मनमाना माना जाएगा। पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के पीछे कारण यह है कि बेहतर अभ्यर्थी ढूंढे जाने चाहिए। यह नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थी के अनुपयुक्त पाए जाने से अलग है।
21. चयन सूची बनाने के लिए 2001 के नियमों के नियम 21 में निहित शर्तों का उल्लंघन उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा आक्षेपित प्रस्ताव को अपनाने में किया गया। **राम शरण मौर्य** (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं।
22. श्री गुप्ता का कहना है कि उक्त नियमों या विनियमों के अंतर्गत उच्चतर कुल अंक लागू करना वर्जित नहीं है। यद्यपि, हम इस प्रस्तुति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। “कुल” शब्द का अर्थ ही दो या अधिक प्रक्रियाओं का संयोजन है और यदि कुल अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया लागू नियमों में निर्धारित की गई है, तो कुल अंक बनाने के तरीके में बदलाव करने के लिए अलग से कोई मानदंड नहीं बनाया जा सकता है।
23. जहां तक **के. मंजूश्री** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय के अनुपात का सवाल है, वह प्राधिकरण बीच में नियमों में बदलाव से निपटता है। हमारे सामने आए मामले में, हमारी राय में, अगर उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद चयन मानदंड बदलने की अनुमति दी जाती है, तो यह निर्धारित नियमों में बदलाव माना जाएगा। हम **शिवनंदन सी.टी.** (पूर्वोक्त) के मामले में संविधान पीठ के निर्णय के पैराग्राफ सं. 14 और 15 का संदर्भ देते हैं,

जो इस बिंदु पर विधि के सिद्धांत को निर्धारित करता है। हम इस प्राधिकरण से उक्त अंशों को नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैं:-

“14. मौखिक परीक्षा हेतु कट ऑफ निर्धारित करने का उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 16 से 24 जनवरी 2017 के बीच मौखिक परीक्षा आयोजित करने के बाद दिनांक 27 फरवरी 2017 को प्रशासनिक समिति द्वारा लिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कई खामियों से ग्रस्त है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय का निर्णय नियम 2(ग)(iii) के विपरीत था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में कुल मिलाकर प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी; दूसरे, दिनांक 13 दिसंबर 2012 को उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित योजना में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि मौखिक परीक्षा के संबंध में कोई कट ऑफ अंक नहीं होगा; तीसरे, दिनांक 30 सितंबर 2015 की उच्च न्यायालय की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया केवल बार के सदस्यों की प्रक्रिया की समयावधि के आधार पर होगी और चौथा, मौखिक परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित करने का निर्णय मौखिक परीक्षाएं जनवरी 2017 में आयोजित होने के काफी बाद लिया गया।

15. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तेज प्रकाश पाठक (पूर्वोक्त) में जिस व्यापक संवैधानिक मुद्दे का उल्लेख किया गया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर निर्णय लेने योग्य नहीं होगा। स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय वर्तमान नियम 2(ग)(iii) के विपरीत था। वास्तव में, सुनवाई के दौरान हमें इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि नियमों को बाद में 2017 में संशोधित किया गया था जिससे मौखिक परीक्षा में 35% अंकों की कट ऑफ निर्धारित की जा सके, जो कि दिनांक 30 सितंबर 2015 को चयन की वर्तमान प्रक्रिया शुरू होने पर प्रचलित विधिक स्थिति नहीं थी। उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने मौखिक परीक्षा के लिए कट ऑफ अधिरोपित करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अपेक्षित

व्यक्तित्व वाले अभ्यर्थी न्यायिक पद ग्रहण करें। प्रशासनिक समिति का यह दृष्टिकोण चाहे कितना भी सराहनीय क्यों न रहा हो, इस प्रकार के बदलाव के लिए नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता होगी, जो कि ऊपर उल्लेखित नियमों के बहुत बाद में आया। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां नियम या उच्च न्यायालय की योजना मौन थी। जहां वैधानिक नियम मौन हैं, उन्हें प्रशासनिक आदेश द्वारा नियमों के उद्देश्य और भावना के अनुरूप तरीके से पूरक बनाया जा सकता है।”

- 24.** इस मामले के तथ्यों में इस प्राधिकरण का अनुपात पूर्ण रूप से लागू होता है। उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से यह प्रस्तुति कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंड बदलने की अनुमति देता है, उक्त प्रावधान का उचित विवरण नहीं है। हमारे विचार में उक्त नियम उच्च न्यायालय प्रशासन को विशेष मामलों में किसी विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज मंगाकर किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता और पात्रता को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय प्रशासन 2001 के नियमों में निर्दिष्ट चयन मानदंडों से विचलन करने के लिए एक व्यापक निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहीं ले सकता। नियम 14 की विषय-वस्तु में उपयुक्तता या पात्रता का आकलन करने में किसी व्यक्तिगत अभ्यर्थी की सत्यापन प्रक्रिया का सार है।
- 25.** तदनुसार, हम दोनों रिट याचिकाओं को अनुज्ञात करते हुए उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करते हैं कि वह उन अभ्यर्थियों के लिए सिफारिश करे जो योग्यता या चयन सूची के अनुसार, मौजूदा अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव को लागू किए बिना सफल हुए हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2023 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव का वह हिस्सा जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, वे जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य होंगे, को अभिखंडित किया जाता है।
- 26.** हम प्रत्याशा करते हैं कि इस निर्णय के संदर्भ में सिफारिश की प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।

27. हमें अभियोग आवेदनों पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि यह निर्णय सम्पूर्ण सिफारिश प्रक्रिया को सम्मिलित करेगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट: दिव्या पांडे

मामले का परिणाम:
रिट याचिकाओं को अनुज्ञात किया जाता है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.